दिनाक 07.11.2020	
प्रेस विज्ञप्ति–07 / 20	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफःअन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 800 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य लगभग एक करोड़ रूपये) बरामद।

दिनाकः 06–11–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 800 कि0ग्रा0 (अनुमानित मूल्य लगभग एक करोड़ रूपये) मादक पदार्थ (गॉजा) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– बीरन सिंह पुत्र उदय सिंह नि0 खड़वाई, थाना– सिकंदरा, जिला– आगरा, उ0प्र0
2– प्रवेश यादव पुत्र रामसेवक, नि0 राजपुरानी थाना– भिनगा, जिला– श्रावस्ती, उ0प्र0
3– राजेन्द्र जायसवाल पुत्र रमेश चन्द्र, नि0– बल्ली का अड्डा कटरा, थाना– कोतवाली नगर, मिर्जापुर, उ0प्र0
4– जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह पुत्र कमला शंकर सिंह, नि0–कुरौठी पांडेय, थाना– विंध्याचल, मिर्जापुर, उ0प्र0

बरामदगी का विवरण–

1– बरामद अवैध गांजा वजनी करीब 800 कि0ग्रा0 (कीमती करीब एक करोड़ रुपये)
2– अवैध गांजे को छुपा कर ले जाने में प्रयोग हुआ नमक 01 ट्रक
3– 01 अदद ट्रक (RJ-11-GA–8266)
4– 01 अदद मारुति ब्रेजा कार(UP-63-AL–7820)
5– रू0 3500 / –नगद
6– 02 अदद डी0एल0
7– 02 अदद आधार कार्ड।
8– 01 अदद पेन कार्ड
9– 01 अदद ए0टी0एम0
10– वाहन ट्रक के कागजात
11– अवैध गांजे को छुपा कर ले जाने के लिए प्रयोग में लगा गया 300 बोरी नमक

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान–

दिनाक–06.11.2020 समय–18:00 बजे, कलकत्ता–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग पर स्थित प्रीतनगर थाना–चोपन जनपद– सोनभद्र उ0प्र0 के निकट

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैघ मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी, जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक श्री शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ मुख्यालय द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ की खेप लेकर कुछ तस्कर जनपद सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में आने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास कर उपनिरीक्षक श्री शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री मनोज सिंह, मुख्य आरक्षी सुधीर कुमार, मु0आ0 राजकुमार शुक्ला, कान्स0 अमित कुमार, कान्स0 सत्य प्रकाश वर्मा, का0कमाण्डो जय प्रकाश गुप्ता की एक टीम गठित कर कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्रन्तर्गत पहुँचकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान से समय 18:00 बजे दिन उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि वे बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का कार्य करते है जिनका एक संगठित गिरोह है एवमं गिरोह का सरगना अवधेश पांडेय पुत्र रमेश पांडेय, निवासी– कस्बा व थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर है। तस्करी के इस गिरोह का जाल उड़ीसा से उत्तर प्रदेश समेत देश के अनेकों प्रान्तों में फैला है। इस गिरोह के सदस्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजे की बड़ी खेप ले जा कर देश के विभिन्न प्रान्तों में पहुचाते है। आज भी गांजे की एक बड़ी खेप लेकर उड़ीसा से मिर्जापुर को देने के लिए आये थे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए।

बरामद अवैध गॉजे तथा ट्रक को थाना चोपन, जनपद सोनभद्र में दाखिल कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 31/2020 धारा 8सी/20 (b)(II)(c)/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः मोबाइल कम्पनियों का फर्जी Customer Care अधिकारी बनकर लकी ड्रा का प्रलोभन देकर ठगी करने वाले को एस0टी0एफ0 द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांकः 06–11–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को मोबाइल कम्पनियों का फर्जी कस्टमर केयर अधिकरी बन कर लकी ड्रा में मोबाइल नम्बर के आने का प्रलोभन देकर ठगी करने वाले अभियुक्त सोनू सिंह को गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

सोनू सिंह पुत्र स्व0 पृथ्वी सिंह नि0 मंगोलपुर, थाना गजनेर जनपद, कानपुद देहात।

बरामदगी–

1. एक अदद ए0टी0एम0
2. एक अदद सिमकार्ड
3. दो अदद मोबाइल फोन
4. रू0 850/– नगद
5. केनरा बैंक के पासबुक की छायाप्रति
6. एक अदद आधार कार्ड की छाया प्रति

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दादूपुर थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर, दिनांकः 06–11–2020 समय 17:40

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न मोबाइल कम्पनियों का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लकी ड्रा का प्रलोभन देकर विभिन्न खातों में रूपये जमा कराकर, आनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वोडाफोन व प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे ठगी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह के सदस्यों ने कई लोगों के साथ धोखा–धड़ी की है। इस सम्बन्ध में जनपद सुल्तानुपर पर मु0अ0सं0 327/2020 धारा 419/420/66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है तथा इस अभियोग का मुख्य अभियुक्त ग्राम दादूपरु थाना धम्मौर में किसी से मिलने आने वाला है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है।

मुखबिर से प्राप्त इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में कान्स0 राघवेन्द्र तिवारी, कान्स0 शैलेन्द्र उपाध्याय, कान्स0 सूरज कुमार, का0 सुधीर की एक टीम गठित कर मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुँच कर मुखबिर की निशादेही पर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू सिंह ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने मोबाइल फोन से एअरटेल, वोडाफोन, प्रधानमंत्री आवास आवंटन योजना से सम्बन्धित फर्जी अधिकारी बन भोले–भाले जनता के लोगों इनाम का प्रलोभन देकर थोड़े–थोड़े पैस विभिन्न खातों मे जमा करवा कर उनसे धोखा–धड़ी करता था। इस काम में उसके साथ रोहित पुत्र सुभाष नि0 3/210, बर्रा–8, कानपुर नगर, रवि नि0 नहलीगांत, झींझक, कानपुर देहात प सुलेन पुत्र लुम्बी नि0 मंगोलपुर थाना गजनेर, कानपुर देहात शामिल थे। इन लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसके द्वारा सीधे–साधे व्यक्तियों को पहचान कर ठगी का यह कार्य किया जाता था।

पूछताछ में प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तार के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानुपर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 327/2020 धारा 419/420/66 डी आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः क्रिकेट आई0पी0एल0 ट्राफी के तीन सट्टेबाज गिरफ्तार

दिनाकः 06–11–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को क्रिकेट की आई0पी0एल ट्राफी के सट्टेबाज/बुकी गगनदीप सिंह रेखी उर्फ रिक्की को सट्टेबाजी में प्रयुक्त उपकरण एवं सट्टेबाजी से प्राप्त धन, अभिलेखों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

गगनदीप सिंह रेखी उर्फ रिक्की पुत्र गुरदीप सिंह, निवासी 551/क 65 भिलावा चन्दरनगर, थाना आलमबाग, लखनऊ।

बरामदगीः

1— नकद रू0—4,69,000/—

2— 03 अदद मोबाइल फोन जिसका प्रयोग आन लाइन सट्टे बाजी में भाव लगाने के लिये किया जाता था।

3— 01 अदद अभिलेखों का बंडल, जिसमें सट्टे का आंकड़ा अंकित है।

4— 01 अदद डी0एल0।

5— 02 अद्द आधार कार्ड।

6— 04 अद्द मेमोरी कार्ड।

7— 03 अद्द सिम कार्ड।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को आई0पी0एल0 ट्राफी (क्रिकेट) में सट्टेबाजी करने वाले गिरोह के सक्रिय होकर सट्टेबाजी किये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक श्री डी0के0 शाही के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, लखनऊ के उपनिरीक्षक श्री सत्येन्द्र विक्रम सिंह को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक—06.11.2020 को मुखबिर की सूचना से ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त आई0पी0एल0 ट्राफी के मैचों में सट्टा खिलाने का कार्य करते हुए अपने घर 551/क 65 भिलावा चन्दरनगर थाना आलमबाग लखनऊ की ओर जा रहा है। यदि शीध्रता किया जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके उपनिरीक्षक श्री सत्येन्द्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0, फील्ड इकाई, लखनऊ टीम द्वारा मुखबिर के बताये हुये उक्त स्थान पर पहॅुचे। मुखबिर के इशारे पर उपरोक्त अभियुक्त को पकड़ा, गया जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ से गगनदीप सिंह रेखी ने बताया कि उसका मेन बुकी अनवर पुत्र शेर मोहम्मद नि0 सुजानपुर, थाना आलमबाग, लखनऊ है। तथा उसके पेण्टर जावेद निवासी आलमबाग, लखनऊ, मनीष जायसवाल निवासीी गोसाईगंज, लखनऊ और रिंकू निवासी बड़ा भरवारा चिनहट, लखनऊ हैं। उसके पास से बरामद मोबाइल फोन को डिब्बा फोन कहते है। इस समय यह सीधी लाइन से जुड़ा हुआ है। इसे दूरभाष से आई0पी0एल0 मैच खेल रही टीमों के भाव बताये जाते हैं। जैसे यदि डिब्बा फोन से 5052 पंजाब बोला गया तो 50 पंजाब का तथा 52 विरोधी टीम का भाव है। इस भाव पर जिस टीम का नम्बर पहले बोला जाता है वह जीताऊ टीम तथा जिसका भाव बोला जाता है, उसे लंगड़ी टीम (हारने वाली टीम) कहते हैं। सट्टे की भाषा में मेरा डिब्बा फोन को बुकी बोला जाता है। मुख्य्य डिब्बा फोन से उसके जैसे कई बुकी कनेक्शन लिये हुए हैं। इस कनेक्शन का पैसा हर माह अदा करना होता है। उसके जैसे बुकी से भाव जानकर पैसे का दांव लगाने वाले खिलाड़ियों को पंटर बोला जाता है। प्रत्येक पंटर खेलने के लिए बुकी के पास अग्रिम धनराशि जमा कराता है तथा कमाए गये दांव के आधार पर हुई हार जीत के आधार पर मैच के अन्त में बुकी द्वारा पंटर का हिसाब किया जाता है। जीती हुई धनराशि बुकी द्वारा पंटर को अदा की जाती है तथा हारने पर पंटर द्वारा जमा की गयी अग्रिम धनराशि बुकी द्वारा काट ली जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दांव पर बुकी को कमीशन के रूप में निर्धारित धनराशि भी मिलती है। पंटर के फोन करने पर मैच के दौरान बुकी उस डिब्बा फोन से मिले भाव बताता है। भाव सुनकर पंटर अपने दांव लगाता है। जिस फोन से पंटर से बुकी के रूप में वह बात करता है उसमें रिकार्डिंग होती है ताकि हिसाब में विवाद होने की दशा में सबूत के तौर पर सुनाया जा सके। इसके अतिरिक्त सादे कागज पर भी पंटर के नाम सहित भाव तथा उसके द्वारा दांव पर लगायी गयी धनराशि लिखी जाती है।

पूछताछ पर प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना आलमबाग, कमिश्नरेट लखनऊ में दाखिल कर इन सभी के विरूद्ध मु0अ0सं0—292/2020 धारा—120बी भादवि व 13 उ0प्र0 सार्वजिनक जुआ अधि0 पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद एटा/थाना राजा का रामपुर

- **25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.11.2020 को थाना राजा का रामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खैरपुर मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी निसार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना राजा का रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2020 धारा 147/148/149/302/307/323/452/504/506/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना राजा का रामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

निसार निवासी लुहारी गवी थाना राजा का रामपुर जनपद एटा।

बरामदगी

01 तमंचा, 02 जीवित, कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- **पुलिस कार्यवाही में 15,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा .315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.11.2020 की सांय थाना बहजोई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बहजोई टिकटा मार्ग डिओढाई तिराहा पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी अकरम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद अमरोहा, सम्भल के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के लगभग 09 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना नखासा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 243/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर 15,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बहजोई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकरम निवासी असरफपुर फैजगंज थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–01 तमंचा .315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

• 03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार

• लगभग 50 लाख रूपये कीमत की 250 ग्राम अवैध स्मैक बरामद ।

दिनांक 06.11.2020 की रात्रि थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान तिलहर बाई पास चौराहे के पास से 03 मादक पदार्थ तस्कर 1–सुहैल, 2–फहीम, 3–सईद अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 50 लाख रू0 कीमत का 250 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुहैल निवासी मोहल्ला जगतपुर एजाज नगर गौटिया निकट कब्रिस्तान थाना बरादरी जनपद बरेली।

2–फहीम निवासी मोहल्ला जगतपुर एजाज नगर गौटिया निकट कब्रिस्तान थाना बरादरी जनपद बरेली।

3–सईद अहमद निवासी ग्राम जलालनगर थाना बिसारतगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–250 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत लगभग 50 लाख रूपये) ।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

• 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार

• लगभग 02 लाख रूपये कीमत की 01 किलोग्राम अवैध अफीम एवं ट्राई स्कूटर बरामद ।

दिनांक 07.11.2020 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग

के दौरान निगोही रोड़ डभौरा गॉव के पास समधाना तिराहे पर 02 मादक पदार्थ तस्कर 1–अमर, 2–भूपेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 02 लाख रू0 कीमत की 01 किलोग्राम अवैध अफीम, 01 ट्राई स्कूटर बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अमर निवासी जौहना थाना कटरा जनपद शाहजहॉपुर।

2–भूपेन्द्र निवासी भौंती थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहॉपुर।

<u>बरामदगी</u>

1– 01 किलोग्राम अवैध अफीम (कीमत लगभग 02लाख रूपये)

<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना कांट</u>

- **04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख रूपये कीमत की 01 किलोग्राम अवैध अफीम एवं 02 मोटर साइकिल आदि बरामद ।**

दिनांक 06/07.11.2020 को थाना कॉट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान कमलनैनपुर तिराहे से 04 मादक पदार्थ तस्कर 1–अरवेन्द्र, 2–मोबीन, 3–राजीव, 4– अमन उर्फ अमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 02 लाख रू0 कीमत की 01 किलोग्राम अवैध अफीम, 02 मोटर साइकिल, 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना कॉट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरवेन्द्र निवासी ग्राम लाडपुर यारपुर थाना कांट जनपद शाहजहॉपुर।

2—मोबीन निवासी ग्राम रावतपुर थाना कांट जनपद शाहजहॉपुर।

3—राजीव निवासी रूपापुर थाना कोतवाली जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

4—अमन उर्फ अमान निवासी मोहल्ला जलालनगर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1— 01 किलोग्राम अवैध अफीम (कीमत लगभग 02लाख रूपये) ।

2— दो मोटर साइकिल, 05 मोबाइल फोन आदि।

जनपद अमेठी/थाना शिवरतनगंज

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **कुल लगभग 05 लाख 50 हजार रू0 कीमत के 73 शीशी में अपमिश्रित शराब, 15 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा आदि बरामद**

दिनांक 06.11.2020 को सायं पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पासिन पुरवा मोड़ चित्थरशाह बाबा मजार के पास से 02 शातिर अभियुक्तों 1—चौहरजा, 2—सन्तोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 05 लाख 50 हजार रू0 कीमत की 73 शीशी में अपमिश्रित शराब, 10 हजार ढक्कन, 3000 गत्ता, 50 खाली शीशी, 48 रैपर, 05 लीटर स्प्रिट, 02 प्लास्टिक ड्रम, 01 मोटर साइकिल, 15 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना शिवरतनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चौहरजा निवासी पासिन का पुरवा मजरे बसन्तपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

2—सन्तोष कुमार निवासी बसन्तपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी

1—कुल लगभग 05 लाख 50 हजार रू0 कीमत की 73 शीशी में अपमिश्रित शराब, 10 हजार ढक्कन, 3000 गत्ता, 50 खाली शीशी, 48 रैपर, 05 लीटर स्प्रिट, 02 प्लास्टिक ड्रम, 01 मोटर साइकिल, 15 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा।

————————